भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
21.12.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2464 का उत्तर

महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाएं

2464. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के मावल, कोल्हापुर, हटकनंगले और बुलढाणा लोक सभा क्षेत्रों में चल रही रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक में उक्त क्षेत्र के संसद सदस्यों/जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या मध्य रेलवे के पुणे मंडल के उच्च अधिकारी संसद सदस्यों द्वारा दिए गए पत्रों और सुझावों तथा उठाए गए मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार ने उच्च अधिकारियों द्वारा संसद सदस्य के साथ कदाचार की शिकायतों पर मध्य रेलवे को कार्रवाई करने का कोई निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने मध्य रेलवे के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संसद सदस्यों को उनके क्षेत्र में चल रही रेल परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाओं के संबंध में 21.12.2022 को लोक सभा में श्री प्रतापराव जाधव, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक के अतारांकित प्रश्न सं. 2464 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): रेल परियोजनाएं राज्य-वार/संसदीय क्षेत्र-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत की जाती हैं, क्योंकि भारतीय रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं/निर्वाचन क्षेत्र के आर-पार फैली हो सकती है। बहरहाल, 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, मावल, कोल्हापुर, हतकनंगले और बुलढाणा निर्वाचन क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 80,079 करोड़ रुपये की लागत की 6,118 कि.मी. लंबाई वाली 34 परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 16 दोहरीकरण परियोजनाएं) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,154 किमी. लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और मार्च 2022 तक 21,297 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इनमें शामिल हैं:-

i. **38,359 करोड़ रुपये की लागत पर 2,017 कि.मी. कुल लंबाई वाली 16 नई लाइन परियोजनाएं, जिसमें से 93 कि.मी. का कार्य पूरा हो गया है और मार्च, 2022 तक 5,084 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है।**
ii. **7,062 करोड़ रुपये की लागत पर 580 कि.मी. कुल लंबाई वाली 02 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिसमें से 279 कि.मी. का कार्य पूरा हो गया है और मार्च, 2022 तक 2,404 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है।**
iii. **34,658 करोड़ रुपये की लागत पर 3,521 कि.मी. कुल लंबाई वाली 16 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिसमें से 782 कि.मी. का कार्य पूरा हो गया है और मार्च, 2022 तक 13,809 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है।**

s.k

वर्ष 2014 से, संरक्षा कार्यों और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं तथा तदनुरूपी कमीशनिंग के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

2014-19 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्ण/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों पर औसत वार्षिक बजट आबंटन को 2009-14 के दौरान 1,171 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,801 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक आवंटन की तुलना में 310% अधिक है। इन परियोजनाओं पर वार्षिक बजट आवंटनों को वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 7,281 करोड़ रुपये कर दिया गया है (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 522% अधिक), वित्त वर्ष 2020-21 में 6,700 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 472% अधिक) और वित्त वर्ष 2021-22 में 8,547 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 630% अधिक) तक बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, इन परियोजनाओं हेतु 11,903 करोड़ रुपये, अब तक का सर्वाधिक बजट आबंटन उपलब्ध कराया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आवंटन (1,171 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) से 916% अधिक है।

2014-22 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में 1141 कि.मी. खंडों (118 कि.मी. नई लाइन, 136 कि.मी. आमान परिवर्तन और 887 कि.मी. का दोहरीकरण) का कार्य 142.63 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर से पूरा हो गया है, जो 2009-14 (58.4 कि.मी. प्रति वर्ष) के दौरान औसत वार्षिक कमीशिनिंग से 144% अधिक है।

(ख): संसद सदस्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठक के दौरान, किसी चालू रेल परियोजना से संबंधित उनके द्वारा उठाए गए एजेंडे पर भी विचार किया जाता है।

s.k

(ग) और (घ): पुणे मंडल में निर्माण संबंधी फील्ड इकाइयों द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों और सुझावों की अस्वीकृति के संबंध में, ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) और (च): रेलवे को किसी अधिकारी/यों के विरूद्ध ऐसी कोई शिकायत/तें प्राप्त नहीं हुई हैं।

*****

s.k